Email

प्रेषक,

जिला प्रोबेशन अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः C-1455 प्रोबे0 / रा0ल0बा0म0स0को0 / 2025–26 दिनांक 09 सितम्बर 2025

विषयः– **उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर पीड़िता स्व0 रजवन्त कौर पत्नी हरवल सिंह का प्रकरण Benificiary Verification मे प्रदर्शित न होने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत पीड़िता ~~पीड़िता~~ **स्व0 रजवन्त कौर पत्नी हरवल सिंह, उम्र–26 वर्ष, निवासी–भदाईपुर थाना कुदर, जिला शाहजहॉपुर का प्रकरण धारा–304 बी, वाद संख्या–376 / 22,** में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के वेब पोर्टल पर Benificiary का Verification किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त प्रकरण की **Benificiary Verification** उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत पोर्टल पर उक्त प्रकरण की **Benificiary Verification** प्रदर्शित किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्र0सं0	Victim Name	Victim ID	Section	FIR. NO	थाना / जिला	स्तर
1.	स्व0 रजवन्त कौर पत्नी हरवल सिंह	2000800782	304 बी0	376 / 22	प्रेमनगर / बरेली	Benificiary Verification प्रदर्शित न होने के सम्बन्ध में।

भवदीया

(मोनिका राणा)
जिला प्रोबेशन अधिकारी
बरेली।

पृष्ठांकनः तद्दिनांकः
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्टेयरिंग कमेटी उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष बरेली को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. योजना अधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, योजना भवन लखनऊ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी
बरेली।